रियो जी20 शिखर सम्मेलन

जी20 रियो डी जेनेरियो घोषणापत्र वैश्विक चुनौतियों और संकटों से निपटने पर केंद्रित है, जबकि मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढावा देता है।

जी20 अवलोकन के बारे में:

- · मेजबान देश: ब्राजील
- · थीम: "एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण"
- · इतिहास: वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए 1999 में गठित; 19 देशों और दो क्षेत्रीय निकायों (अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ) का प्रतिनिधित्व करते हुए आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के लिए एक मंच के रूप में विकसित हुआ।
- · ट्रोइका (2024): भारत (2023 की अध्यक्षता), ब्राजील (2024 की अध्यक्षता), और दक्षिण अफ्रीका (2025 की अध्यक्षता)।
- २०२५ की मेजबान: दक्षिण अफ्रीका

रियो जी20 शिखर सम्मेलन घोषणापत्र के प्रमुख परिणाम:

- 1. भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन:
- o उद्देश्य: भूख और गरीबी से लड़ने के लिए देश के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों के लिए वित्त और ज्ञान-साझाकरण जुटाना।
- ० विशेषताएँ: नकद हस्तांतरण, स्कूल फीडिंग कार्यक्रम और माइक्रोफाइनेंस पर ध्यान केंद्रित करना।
- 2. जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लामबंदी पर टास्क फोर्स (TF-CLIMA):
- ० उद्देश्यः संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना और जलवायु कार्रवाई के लिए निजी पूंजी को बढ़ावा देना।
- o विशेषताएँ: वित्तीय एजेंडा में जलवायु परिवर्तन को मुख्यधारा में लाना और पारदर्शी क्रेडिट रेटिंग सिस्टम की खोज करना।
- 3. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF):
- ० उद्देश्य: नवीन वित्तपोषण तंत्रों के माध्यम से वनों का संरक्षण करना।
- o विशेषताएँ: वनों की कटाई से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए धन जुटाना।

- 4. G20 बायोइकोनॉमी इनिशिएटिव (GIB):
- ० उद्देश्य: जैव-आधारित नवाचारों के माध्यम से सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- ० विशेषताएँ: बायोइकोनॉमी विकास के लिए 10 स्वैच्छिक सिद्धांतों को अपनाना।
- 5. न्यायसंगत और समावेशी ऊर्जा संक्रमण के सिद्धांत:
- ० उद्देश्य: वैश्विक स्तर पर न्यायसंगत और समावेशी ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करना।
- ० विशेषताएँ: २०३० तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को तिगुना करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना।
- 6. महामारी की तैयारी के लिए स्वैच्छिक योगदान:
- ० उद्देश्य: वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को मजबूत करना।
- ० विशेषताएँ: वैक्सीन की पहुँच और स्थानीय स्वास्थ्य नवाचार के लिए सहयोग बढ़ाना।
- 7. बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) के लिए रोडमैप:
- o उद्देश्य: उधार देने की क्षमता बढ़ाने और बेहतर संसाधन जुटाने के लिए MDB में सुधार करना।
- o विशेषताएँ: पूंजी पर्याप्तता सुधार और निजी पूंजी के साथ एकीकरण।
- 8. डिजिटल अर्थव्यवस्था और AI शासन:
- o उद्देश्य: जोखिमों को संबोधित करते हुए जिम्मेदार AI उपयोग को बढ़ावा देना।
- o विशेषताएँ: कार्यस्थलों में AI के लिए दिशा-निर्देशों की स्थापना और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना। सकारात्मक:
- समावेशन पर ध्यान: टिकाऊ और समावेशी नीतियों के माध्यम से असमानताओं को कम करने पर जोर।
- जलवायु कार्रवाई नेतृत्व: शुद्ध-शून्य लक्ष्यों और जैव विविधता संरक्षण के लिए मजबूत प्रतिबद्धता।
- स्वास्थ्य और शिक्षाः स्वास्थ्य प्रणालियों और डिजिटल शिक्षा में मजबूत निवेश।
- वैश्विक सहयोग: वैश्विक शासन सुधारों के लिए G20 देशों के बीच बेहतर समन्वय।

सीमाएँ:

• वित्तपोषण में अस्पष्टताः कई पहलों के लिए ठोस समयसीमा या स्पष्ट वित्तीय प्रतिबद्धताओं का अभाव।

- सीमित सहमति: राष्ट्रीय परिस्थितियों में भिन्नताएँ समान जलवायु कार्रवाई और वित्तीय सुधारों में देरी करती हैं।
- कुछ राष्ट्रों का बहिष्कार: ढाँचा अभी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का पक्षधर है, जिससे छोटे राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व सीमित है।
- प्रवर्तन तंत्रों का अभाव: अधिकांश पहल बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के बिना स्वैच्छिक भागीदारी पर निर्भर करती हैं।

जमानत और विचाराधीन कैदी

भारत की न्यायिक और जेल प्रणाली चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें विचाराधीन कैदी कैदियों का एक बड़ा हिस्सा हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत संशोधनों का उद्देश्य ज़मानत को सुव्यवस्थित करना और जेलों में भीड़भाड़ को कम करना, न्याय और अधिकारों को सुदढ़ करना है।

ज़मानत और इसके प्रकार:

- परिभाषा: ज़मानत का मतलब है मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे अभियुक्त व्यक्ति की अस्थायी रिहाई, अक्सर निर्दिष्ट शर्तों के तहत।
- जमानत के प्रकार:
- नियमित जमानत: पुलिस हिरासत में रहने वालों को दी जाती है (सीआरपीसी की धारा 437 और 439)।
- अंतरिम जमानतः नियमित या अग्रिम जमानत की सुनवाई तक अस्थायी राहत।
- अग्रिम जमानत: गिरफ्तारी के डर से सीआरपीसी की धारा 438 के तहत गिरफ्तारी से पहले जमानत। जमानत के संबंध में बीएनएसएस में संशोधन:
- पहली बार अपराध करने वाले: अपनी अधिकतम सजा का एक तिहाई हिस्सा (आजीवन कारावास या मृत्यु दंड वाले मामलों को छोड़कर) काटने के बाद जमानत के हकदार।
- अनिवार्य जमानतः न्यायालयों को आरोप पत्र दाखिल करने पर जमानत पर विचार करना चाहिए, जब तक कि इसे अस्वीकार करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों।
- विशेष प्रावधानः महिलाओं, बच्चों और बीमार व्यक्तियों जैसे कमजोर समूहों पर ध्यान केंद्रित करें।
- समय पर निपटान: जमानत आवेदन प्रक्रियाओं में देरी को कम करने पर जोर।

भारत में विचाराधीन कैदियों में हालिया रुझान:

- जनसंख्या सांख्यिकी: 2022 तक, विचाराधीन कैदियों की संख्या जेल की आबादी का 75.8% है (5,73,220 कैदियों में से 4,34,302)।
- लिंग विश्लेषण: जेल में बंद ७६.३३% महिलाएँ विचाराधीन हैं।
- अवधि: 8.6% विचाराधीन कैदी तीन साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं।

स्रोत: एनसीआरबी जेल सांख्यिकी भारत, 2022

ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फ़ैसले:

- 1. सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2023): ज़मानत आवेदनों के समय पर निपटान के लिए दिशा-निर्देश स्थापित किए और "ज़मानत, जेल नहीं" पर ज़ोर दिया।
- 2. हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979): आज़ादी के अधिकार को सुनिश्चित किया निष्पक्ष सुनवाई के लिए सहायता।
- 3. चार्ल्स शोभराज बनाम अधीक्षक, सेंट्रल जेल, तिहाड़ (1978): कैदियों के अधिकारों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें मानवीय जीवन स्थितियों तक पहुँच शामिल है।
- 4. शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1996): दो साल से अधिक समय तक हिरासत में रहने वाले विचाराधीन कैदियों को जमानत दी गई।
- 5. उपेंद्र बक्सी बनाम यू.पी. राज्य (1983): कैदियों के लिए गरिमा और मानवीय व्यवहार पर जोर दिया गया चुनौतियाँ:
- कार्यान्वयन में खामियाँ: कानूनी प्रावधानों के बावजूद जमानत शर्तों का विलंबित अनुपालन।
- आर्थिक बाधाएँ: जमानत राशि वहन करने या जमानतदारों की व्यवस्था करने में असमर्थता।
- न्यायिक विवेक: मामलों में जमानत सिद्धांतों का असंगत अनुप्रयोग।
- प्रशासनिक देरी: जमानत आवेदनों के लिए लंबा प्रसंस्करण समय।
- दस्तावेज़ीकरण मुद्दे: पहचान प्रमाण और कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी विचाराधीन कैदियों की रिहाई में बाधा डालती है।
- सामाजिक बाधाएँ: हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को जमानत पाने में प्रणालीगत पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है।

उपाय:

सुधार कानून: जमानत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक कानून विकसित करें।

पुनर्वास पर ध्यान दें: पुनः एकीकरण का समर्थन करने और पुनरावृत्ति को कम करने के लिए कार्यक्रमों को लागू करें। खुले जेल मॉडल: पात्र कैदियों के लिए राजस्थान की "खुली जेलों" जैसी प्रणालियों का विस्तार करें।

कानूनी सहायता को मजबूत करें: विचाराधीन कैदियों के लिए कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुँच बढ़ाएँ।

प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें: सुनिश्चित करें कि जेल अधीक्षक पात्र विचाराधीन कैदियों के बारे में अदालतों को तुरंत सूचित करें।

राजनीतिक इच्छाशक्ति: निरंतर वित्त पोषण और प्रतिबद्धता के साथ सुधारों को प्राथमिकता दें।

WEP और अर्बन कंपनी सहयोग

नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (WEP) ने अर्बन कंपनी के सहयोग से, सौंदर्य और कल्याण क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया।

मुख्य बिंदु:

- कार्यक्रम फोकस: सैलून और पार्लर का प्रबंधन करने वाली महिला उद्यमियों को छह क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य: कौशल, कानूनी अनुपालन, वित्त तक पहुँच, बाजार और व्यवसाय विकास, मेंटरशिप और नेटवर्किंग।
- उद्देश्य: सौंदर्य और स्वास्थ्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई की स्थिरता और मापनीयता को बढ़ाना, एक मजबूत उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।
- सहयोग: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के WEP और अर्बन कंपनी के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी।

"भू-नीर" पोर्टल

माननीय जल शक्ति मंत्री ने भारत जल सप्ताह 2024 के औपचारिक समापन के दौरान "भू-नीर" पोर्टल लॉन्च किया।

"भू-नीर" पोर्टल के बारे में:

- मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय, एनआईसी के सहयोग से केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा विकसित।
- उद्देश्य: भूजल संसाधनों को पारदर्शी और कुशलतापूर्वक विनियमित, प्रबंधित और निगरानी करना, स्थिरता को बढ़ावा देना।

- मुख्य विशेषताएं:
- पैन-आधारित एकल आईडी प्रणाली: सभी हितधारकों के लिए उपयोगकर्ता पंजीकरण को सरल बनाती है।
- क्यूआर कोड के साथ एनओसी: सत्यापन योग्य और ट्रैक करने योग्य अनुपालन दस्तावेज सुनिश्चित करता है।
- सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ: भूजल निकासी के लिए परिमट आवेदन को सरल बनाता है।
- केंद्रीकृत डेटाबेस: राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी ढाँचे, भूजल नीतियों और संधारणीय प्रथाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
- व्यापार करने में आसानी: भूजल विनियमन को सहज और फेसलेस बनाकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है।

"वेब्स" ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म

भारत के सार्वजनिक प्रसारक ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) 2024 के उद्घाटन समारोह के दौरान अपना ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म "वेव्स" लॉन्च किया।

वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में

- डेवलपर: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रसार भारती।
- लॉन्च इवेंट: IFFI 2024 में उद्घाटन किया जाएगा।
- टैगलाइन: "वेव्स पारिवारिक मनोरंजन की नई लहर।"
- भाषाएँ और सामग्री: हिंदी, अंग्रेजी, तिमल, कोंकणी और असिमया सिहत 12+ भाषाओं में सामग्री प्रदान करता है। इसमें मनोरंजन, गेमिंग, शिक्षा और खरीदारी की सुविधाएँ हैं।
- लाइव चैनल: "मन की बात" और अयोध्या के प्रभु श्रीराम लला की आरती सहित 65 लाइव टीवी चैनल स्ट्रीम करता है।
- अनूठी विशेषताएँ:
- 1. सामग्री की पहुँच: ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए भारतनेट का लाभ उठाता है।
- 2. विविध सामग्री: इसमें फ़िल्में, छात्र परियोजनाएँ, संगीत शो, एनिमेशन और अपराध थ्रिलर शामिल हैं।
- 3. सहयोग: साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए FTII, अन्नपूर्णा, ONDC और CDAC के साथ साझेदारी।
- 4. क्रिएटर्स के लिए समर्थन: युवा कंटेंट क्रिएटर्स और राष्ट्रीय क्रिएटर पुरस्कार विजेताओं के लिए खुला मंच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा बैंक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ASSOCHAM AI लीडरशिप मीट 2024 के 7वें संस्करण में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा बैंक लॉन्च किया।

भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा बैंक के बारे में:

- लॉन्च करने वाले: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री।
- इवेंट: ASSOCHAM AI लीडरशिप मीट 2024 के दौरान अनावरण किया गया।
- उद्देश्य:
- ० शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और डेवलपर्स के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले, विविध डेटासेट प्रदान करना।
- o स्केलेबल और समावेशी AI समाधान सक्षम करना।
- o सैटेलाइट, ड्रोन और IoT डेटा के रीयल-टाइम एनालिटिक्स के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना।
- अनुप्रयोग:
- ० राष्ट्रीय सुरक्षा: रीयल-टाइम निगरानी और साइबर रक्षा को मजबूत करता है।
- o आपदा प्रबंधन: जोखिम न्यूनीकरण के लिए भविष्य कहनेवाला विश्लेषण की सुविधा देता है।
- o सार्वजनिक सेवा वितरण: शासन और नागरिक सेवाओं का अनुकूलन करता है।
- ० क्षेत्रीय प्रभाव: शासन सीई, स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय, शिक्षा और अंतरिक्ष अन्वेषण।
- नैतिक उपयोग: एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह, डेटा गोपनीयता और न्यायसंगत पहुँच को संबोधित करने के लिए रूपरेखाएँ।
- विज़न: यह सुनिश्चित करना कि AI सामाजिक विभाजन को पाटता है, नागरिकों को सशक्त बनाता है और आर्थिक विकास को गति देता है।

केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (CENVAT) क्रेडिट

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में, दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल टावरों और प्रीफैब्रिकेटेड इमारतों (PFB) की स्थापना के लिए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (CENVAT) क्रेडिट का दावा करने की अनुमित दी है। केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (CENVAT) के बारे में:

• CENVAT क्या है:

एक कर क्रेडिट प्रणाली जो निर्माताओं या सेवा प्रदाताओं को विनिर्माण या आउटपुट सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क या सेवा कर पर सेट-ऑफ का दावा करने की अनुमति देती है।

• CENVAT को नियंत्रित करने वाले नियम:

CENVAT क्रेडिट नियम, 2004 के तहत कार्यान्वित, इसने संशोधित मूल्य वर्धित कर (MODVAT) को प्रतिस्थापित किया। ये नियम पात्र वस्तुओं, इनपुट सेवाओं और क्रेडिट प्राप्त करने की शर्तों को परिभाषित करते हैं।

- सेनवैट क्रेडिट के लिए मानदंड:
- इनपुट: अंतिम उत्पादों के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किए जाने वाले सामान।
- पूंजीगत सामानः विनिर्माण प्रक्रिया के लिए अभिन्न मशीनरी या उपकरण।

- आउटपुट सेवाएँ: कर योग्य सेवाएँ जिनके लिए इनपुट क्रेडिट सेवा कर देयता को ऑफसेट कर सकते हैं।
- आंशिक प्रसंस्करण: आंशिक रूप से संसाधित वस्तुओं के लिए क्रेडिट की अनुमित है।
- सेनवैट का महत्व:
- दोहरे कराधान से बचाता है: एक ही मूल्य संवर्धन पर बार-बार कराधान को रोकता है।
- कराधान को सरल बनाता है: निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं पर कर का बोझ कम करता है।
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है: व्यवसायों को उत्पादन और नवाचार में बचत को फिर से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- उपभोक्ता लाभ: कैस्केंडिंग करों को समाप्त करके वस्तुओं और सेवाओं की समग्र लागत को कम करता है। विश्व के बच्चों की स्थिति 2024

यूनिसेफ द्वारा विश्व के बच्चों की स्थिति 2024 रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर बचपन के भविष्य को आकार देने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डाला गया है।

विश्व के बच्चों की स्थिति रिपोर्ट 2024 के बारे में:

- यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित।
- थीम: जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जलवायु संकट और तकनीकी प्रगति को संबोधित करके बच्चों के अधिकारों को साकार करने वाला भविष्य सुरक्षित करना।
- मुख्य अंतर्दृष्टिः
- जनसांख्यिकीय बदलाव: 2050 तक वैश्विक बाल जनसंख्या 2.3 बिलियन पर स्थिर हो जाएगी, जिसमें अफ्रीका सबसे अधिक अनुपात में होगा।
- जलवायु और पर्यावरण: 1 बिलियन से अधिक बच्चे उच्च जोखिम वाले देशों में रहते हैं; बाढ़, सूखे और हीटवेव जैसे खतरों के संपर्क में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है।
- अग्रणी प्रौद्योगिकियाँ: एआई और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ परिवर्तनकारी क्षमता प्रदान करती हैं, लेकिन समान पहुँच और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी से नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- शिक्षा: अनुमान है कि 2050 तक 95.7% बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेंगे, जिससे वैश्विक स्तर पर शिक्षा में लैंगिक समानता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

यूनिसेफ के बारे में:

- स्थापना: 1946, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद।
- अधिदेश: देश की परवाह किए बिना दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों और भविष्य की रक्षा करना।
- उपस्थिति: 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में सक्रिय।

- वित्त पोषण: व्यक्तियों, सरकारों और निजी क्षेत्र के भागीदारों से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से पूरी तरह से वित्त पोषित।
- पुरस्कार: नोबेल शांति पुरस्कार (1965), इंदिरा गांधी पुरस्कार (1989), प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस पुरस्कार (2006)।
- प्रकाशित रिपोर्ट: द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, अन्य के अलावा।
- वैश्विक पहल:
- सेव द चिल्ड्रन के साथ बच्चों के अधिकार और व्यावसायिक सिद्धांत।
- शिक्षा तक पहुँच में सुधार के लिए डेटा मस्ट स्पीक पहल।
- मुख्यालय: न्यूयॉर्क शहर।